कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

E-mail-ecmpgwl@hotmail.com

:: स्थाई परिपत्र – आसवनी / 2013 / 29 ::

ग्वालियर, दिनांक 14-01.2013

विषयः– विनिर्माणी इकाईयों के पक्ष में जारी परमिट, अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

विनिर्माणी अनुज्ञप्तिधारी डी–1, बी–3, एफ.एल.9 तथा एफ.एल.9–क, सी.एस.1–ख, एफ.एल. 10–क तथा एफ.एल.10–ख के अनुरोध पर जिले के जिला प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अथवा विदेशी मदिरा भाण्डागार या इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा स्प्रिट/देशी विदेशी मदिरा के आयात, निर्यात तथा परिवहन के सन्दर्भ में पारपत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। ज्ञात हुआ है कि कुछ अधिकारियों द्वारा ये पारपत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन के बिना ही जारी कर दिये जाते हैं जबकि सभी पारपत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुज्ञप्तिधारी अथवा इस हेतु उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किये जाना चाहिये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि यदि विनिर्माणी अनुज्ञप्तिधारी जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा विदेशी मदिरा भाण्डागार या इकाई के प्रभारी अधिकारी से कोई पारपत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो वे समस्त जानकारियों का उल्लेख करते हुये, आवश्यक अभिलेखों सहित, आवेदन सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें । अभिलेखों पर वे " हमारे द्वारा प्रस्तुत " अंकित कर उन्हें प्रस्तुत करेगें । उक्त आधार पर विचारोपरांत नियमानुसार अनुज्ञप्त इकाई के पक्ष में पारपत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे।

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक–5(7)न्यू/2013/96 ग्वालियर,दिनांक 14-01.2013

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
2. अपर आबकारी आयुक्त, प्रशासन/तकनीकी, मध्यप्रदेश।
3. उपायुक्त आबकारी, प्रशासन/तकनीकी, मुख्यालय ग्वालियर।
4. उपायुक्त आबकारी, राज्य उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त, उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश,।
6. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी डी–1, बी–3, सी.एस.1–ख, एफ.एल.9 तथा एफ.एल.9–क, एफ.एल. 10–क, एफ.एल.10–ख तथा विदेशी मदिरा भांडागार की ओर पालनार्थ।
8. समस्त अनुज्ञप्तिधारी डी–1, बी–3, सी.एस.1–ख, एफ.एल.9 तथा एफ.एल.9–क, एफ.एल. 10–क तथा एफ.एल.10–ख की ओर पालनार्थ।

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश